3 Sy



## SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)
Case No Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
शा- प्रा- और
V/0
Name, parentage, caste and address of accused
Name, parentage, caste and address of accused
ण त्रामाबहारी 516 राभंबाद पाराहार पर वेस R10
नुहाः वालार निवदकारे ग्रेश होता
Line Courses in sus suffe
그는 경치되어 없게 되었습니다. "마이트를 하는 것이 되었습니다. 그 사이에 되었습니다. 그 사이에 되었습니다. 그리고 말을 했습니다. 그 사이에 되었습니다. "마이트를 하고 있습니다." "그는 그 사이트를 되었습니다. "이트를 하는 것이 되었습니다. "그는 그 사이트를 하는 것이 되었습니다." "그는 그 사이트를 하는 것이 되었습니다. "그는 그 사이트
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
्राचेत । के कि विचांक 28 र 19 र 12 मुकाम
आप पर आरोप है कि दिनांक १८-१०-१) गुकाम पर बिना वैध अनुज़िपा के अपने
आधिपत्य में शिटर पाव / बोतल द्वापी शराब विकथ / परिव्रहन हेतु रखी।
अधिपत्य में लीटर/पाव/बातल
ऐसा करके आपने आबकारा आध0 1915 का धारा उस । (सर्) र
अपराध कारित किया।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
The plea of the accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। चून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।
अपराध स्वाकार है। है।

## (आज दिनांक ...।५-।८-।२ को घोषित)

- 01. <u>अभियुक्त</u> के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सींट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
- 03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की संजा एवं रूपये 1000/शब्दों में ८०५ हिक्क रूपये के राज्य के विष्टत किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर ️ का साधारण कारावास की राजा भुगतायी जावे।
  - 04 जप्तशुदा सम्पिता ...39 तीटर/पीव/बोतल होती शराब शराब पूर्ल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होते के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार मूर्ल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होते के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार का कार्यात की जावे। अपील ना कि भाग के आदेश का